2022/242

आदेश...

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फोर्म नंबर 8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
251 ए प्रार्थना पत्र	119/22	5/5/2022		11.7.24 16/7/24 27/8/24 11/9/24

अनवान

श्री राधेश्याम S/o रामलाल मेहर — श्री तहसीलदार साहब

निवासी बिजौलिया कलाँ — निवासी बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट — अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

डिक्रीदार — मदयून

श्री रामफूल धाकड़ — श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बिजौलियां**

सरकार बनाम ....

किस्म मुकदमा – 251 ए (1) नम्बर 119/22 वर्ष 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5-5 .2022	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील प्रार्थी हाजिर। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 21/6/2022 को पेश हों। **उपखण्ड अधिकारी** **बिजौलियां**	
21/6/22	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 2/8/22 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
2/8/22	पत्रावली पेश हुई। विपक्षीगण के वा[illegible] तामील प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार बिजौलियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट दि. 19.10.22 को पेश हो।	
19.10.22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार बिजौलियां को पुनः तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट दि. 14.12.22 को पेश हो।	
14/12/22	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। [illegible] दिनांक 18.1.23 को वास्ते मौका रिपोर्ट पेश [illegible]। उप खण्ड अधिकारी	

पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 1.3.23 को वास्ते मौका रिपोर्ट पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 4/4/23 को वास्ते मौ/रि पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष उपस्थित। तहसीलदार बिजोलिया को मौका रिपोर्ट हेतु लिखा जावे। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट हेतु दिनांक 9/5/23 को पेश हो।

पत्रावली पेंश हुई। अभिभाषक ... उपस्थित श्रीमान P.O.सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 6/6/23 को वास्ते मौ. रिपोर्ट पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली मे तहसीलदार बिजौलियाँ से मौका रिपोर्ट अप्राप्त। तहसीलदार बिजौलिया को पुनः स्मरण पत्र जारी होकर वास्ते मौका रिपोर्ट आगामी सुनवाई 20/06/2023 पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट दिनांक 25/7/23 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट दिनांक 22/8/23 को पेश हो।

APP- A
Crim-5

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलिया

राधेश्याम बनाम TDR

किस्म मुकदमा 251(A) नं. 119/22 वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/8/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभापक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 19/9/22 को वास्ते [illegible] पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
19/9/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट दिनांक 5/10/23 को पेश हो।	
5/10/2023	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार बिजौलिया से मौका रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली बरुतजार रिपोर्ट तहसीलदार के पत्रावली आगामी दिनांक 11/10/2023 को पेश हो।	
11/10/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट दिनांक 19/10/23 को पेश हो।	
19/10/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में तहसीलदार, बिजौलिया से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 07/12/23 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/12/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 25/1/24 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
25/1/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 22/2/24 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
22/2/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 21/3/24 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
21/3/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 2/5/24 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
2/5/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 30/5/24 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
30/5/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 20/6/24 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
20/6/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 11/7/24 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

11/7

16/7

11/9/

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11/7/24	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते निर्णय 16/7/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा
16/7/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 11/9 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा
11/9/24	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में निर्णय खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 119/2022 दायर तारीख 05.05.2022

अनवान

01 राधेश्याम पुत्र रामलाल जाति मेहर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी बिजौलियां कलां तह0 बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

..........प्रार्थी

बनाम

01 भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)।

..........अप्रार्थी

उपस्थित :–

1. श्री रामफूल धाकड़, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. सरकार पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 11/09/2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विपक्षी पेश कर निवेदन किया की मुझ प्रार्थी की स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां स्थित आराजी नम्बर 1969/811 रकबा 0.2833 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। जिस पर आने जाने के लिए 15 फीट चौड़ा गै.मु. रास्ता ग्राम बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां की बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 811 रकबा 0.4775 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 809 रकबा 0.7527 हैक्टेयर भूमि में से होकर प्रार्थी अपनी आराजी पर आते जाते हैं। प्रार्थी एवं पूर्व खातेदार कई वर्षो से निरन्तर उसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी पर काश्त की जा रही हैं। मौके पर वर्तमान में रास्ते के आलामात मौजूद हैं। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अपनी आराजी मे आने जाने, ट्रेक्टर, बैलगाड़ी लाने ले जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है। प्रार्थी, विपक्षी की उक्त आराजी पर स्थित 15 फीट चौड़े रास्ते को रिकॉर्ड मे लेने के बदले मे तय किये जाने वाला सरकार मूल्य के आधार पर मुआवजा भुगतान को तैयार है।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षी की तलबी जरिय नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गयी।

प्रकरण में मात्र विपक्षी तहसीलदार ही पक्षकार हैं। अतः प्रकरण में मौका स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार बिजौलियां से तलब की गयी तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2023/1247 दिनांक 11.10.2023 में अंकित किया कि ग्राम बिजौलियां कलां में प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि खातेदारी आ0नं0 1969/811 रकबा 0.2833 है0 भूमि पर पहुंच मार्ग हेतु बिलानाम

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

आराजी नं0 809 व 811 से रास्ता चाहता है। ग्राम बिजौलियां कलां की आराजी नं0 810, 1364, 1390 रास्ता दर्ज रेकॉर्ड है। बिलानाम आराजी नं0 810 गै0मू0 रास्ता व प्रार्थी के खातेदारी आराजी नं0 1969/811 के मध्य बिलानाम आराजी नं0 811 रकबा 0.4775 है0 स्थित है जिससे होता हुआ प्रार्थी की भूमि तक पहुंच मार्ग दिये जाने पर रकबा 0.0162 है0 भूमि बनती है जो उक्त खातेदारी आराजी नं0 1969/811 तक पहुंच मार्ग हेतु निकटतम मार्ग होगा एवं अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। आराजी नं0 811 स्वीकृत खनन क्षेत्र से 800 मीटर, संभावित खनन क्षेत्र से 840 मीटर व SH से 78 मीटर, NH से 450 मीटर आबादी से 380 मीटर की दूरी पर स्थित है। किसी प्रकार का विवाद नही है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि स्थित नही है।

ग्राम बिजौलियां कलां की आराजी नं0 811 रकबा 0.4775 है0 में से 0.0162 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 2086165/— रूपये प्रति है0 से भूमि की मालियत 33796/— रूपये का दुगुना से 67592/— रूपये की राशि बनती है।

प्रकरण में बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व विपक्षी सरकार पैरोकार की सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया उक्त प्रस्तावित रास्ता बिलानाम भूमि में से रास्ता दिये जाने में भूमिधारी तहसीलदार बिजौलिया ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में मौके पर दर्ज नही हैं।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थी को स्वयं की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां स्थित आराजी नम्बर 1969/811 रकबा 0.2833 हैक्टेयर भूमि पर पहुंचने के लिए रास्ता विपक्षी की ग्राम बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां की आराजी नं0 811 रकबा 0.4775 है0 में से 0.0162 हैक्टेयर भूमि को राजस्व रेकॉर्ड में गै0मू0 रास्ता अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां की आराजी नं0 811 रकबा 0.4775 है0 में से 0.0162 हैक्टेयर भूमि की डी.एल.सी. दर 2086165/— रूपये प्रति है0 से भूमि की मालियत 33796/— रूपये का दुगुना से 67592/— रूपये की राशि बनती है। बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमान्तर्गत रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 11/09/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ